



BACKGROUNDS
Press Information Bureau
Government of India

कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना: भारत के समुद्री भविष्य का निर्माण

भारत की बढ़ती व्यापार और विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं ने एक मजबूत घरेलू कंटेनर विनिर्माण आधार की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय द्वारा समर्थित प्रस्तावित कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना (CMAS), संपूर्ण कंटेनर ईकोसिस्टम में विनिर्माण, निवेश और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। शिपिंग, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स में व्यापक सुधारों के साथ, इस पहल से भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने, रोजगार उत्पन्न करने और भारत की दीर्घकालिक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को सहायता मिलने की आशा है।

अगस्त 11, 2026

घरेलू कंटेनर विनिर्माण की आवश्यकता

आज वैश्विक व्यापार तेजी से कंटेनरीकृत लॉजिस्टिक्स द्वारा संचालित हो रहा है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) के अनुसार, मात्रा के हिसाब से लगभग 80% वैश्विक माल व्यापार समुद्र के रास्ते ले जाया जाता है। समुद्री परिवहन अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य की रीढ़ है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मूल्य में कंटेनरीकृत कार्गो का हिस्सा लगभग दो-तिहाई है। ये रुझान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को समर्थन देने में कुशल कंटेनर लॉजिस्टिक्स के रणनीतिक महत्व को उजागर करते हैं।

हाल के वर्षों में, भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधानों और बदलते शिपिंग मार्गों ने सामानों की वैश्विक आवाजाही में कमजोरियों को उजागर किया है। UNCTAD ने पाया है कि इन व्यवधानों ने भाड़ा-दर की अस्थिरता (freight-rate volatility) और समुद्री परिवहन नेटवर्क पर दबाव बढ़ाने में योगदान दिया है। परिणामस्वरूप, कई देश शिपिंग कंटेनरों सहित महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स संपत्तियों के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने पर अधिक जोर दे रहे हैं।

वैश्विक विनिर्माण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका ने कंटेनरीकृत कार्गो आवाजाही की मांग को काफी बढ़ा दिया है। हालांकि, बढ़ते आयात-निर्यात (EXIM) व्यापार और त्वरित लॉजिस्टिक्स विकास के बावजूद, भारत काफी हद तक आयातित खाली कंटेनरों पर निर्भर रहा है। घरेलू मांग को पूरा करने और रिपॉजिशनिंग उद्देश्यों के लिए भारत हर साल लगभग 20 लाख खाली कंटेनरों का आयात करता है। इसने कंटेनर की उपलब्धता को वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव, भाड़े की अस्थिरता और आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बना दिया है।

इन उभरती चुनौतियों को पहचानते हुए, सरकार ने **कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना (CMAS)** की घोषणा की। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर और मूल्य श्रृंखला में निवेश को प्रोत्साहित करके भारत में एक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। इस पहल का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना और आपूर्ति-श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत करना भी है। इसके अलावा, यह 'मेक इन इंडिया', **मैरीटाइम अमृत काल** विजन 2047' और 'मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स विकास' के तहत सरकार की पहलों का पूरक है, जो भारत की दीर्घकालिक समुद्री और व्यापार महत्वाकांक्षाओं में योगदान देता है।

कंटेनर क्या हैं?

शिपिंग कंटेनर मानकीकृत स्टील मालवाहक कंटेनर होते हैं जिनका उपयोग पारगमन के दौरान सामान को बिना उतारे और पुनः पैक किए बिना जहाजों, रेलवे और सड़क वाहनों में कार्गो ले जाने के लिए किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ISO (मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन) विनिर्देशों के अनुसार निर्मित, वे निर्बाध अंतर-मोडल परिवहन और कुशल वैश्विक व्यापार को सक्षम बनाते हैं। सबसे आम आकार 20-फिट और 40-फिट कंटेनर हैं, जिन्हें बीस-फिट समतुल्य इकाइयों (TEUs) में मापा जाता है, जो कंटेनर क्षमता को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक इकाई है।

WHY CMAS MATTERS



Growing Global Trade

Rising trade drives higher demand for shipping containers.



Growing Container Demand

India's expanding EXIM trade requires reliable container availability.



Import Dependence

Nearly 2 million empty containers imported annually.



CMAS Response

Promotes domestic manufacturing and reduces import dependence.



कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना (CMAS) क्या है ?

CMAS की घोषणा **केंद्रीय बजट 2026-27** में की गई थी। यह वित्तीय और संस्थागत सहायता के माध्यम से एक प्रतिस्पर्धी घरेलू कंटेनर विनिर्माण उद्योग स्थापित करने की एक लक्षित पहल है।

पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, यह प्रस्तावित योजना नई विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार का समर्थन करती है। इसका उद्देश्य शिपिंग कंटेनरों की भारत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना भी है।

यह पहल मौजूदा कंटेनर उत्पादन क्षमता से लगभग 10 गुना बढ़ाकर 7.5 लाख बीस-फिट समतुल्य इकाइयों (TEUs) तक की वार्षिक घरेलू विनिर्माण क्षमता का लक्ष्य रखती है। इससे लगभग 80,000 करोड़ रुपये का बाजार पैदा होने

की उम्मीद है, जबकि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी शिपिंग कंटेनरों के एक विश्वसनीय उत्पादक के रूप में स्थापित होगा।

कंटेनर निर्माण मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए, योजना निम्नलिखित प्रदान करती है:

- नई ग्रीनफील्ड विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए पूंजीगत सहायता।
- मौजूदा ब्राउनफील्ड विनिर्माण इकाइयों के विस्तार के लिए सहायता।
- घरेलू कंटेनर निर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए परिचालन सहायता।
- परीक्षण बुनियादी ढांचे, कौशल पहलों और क्षमता निर्माण के लिए सहायता।

एक एकीकृत समुद्री ईकोसिस्टम का निर्माण

CMAS एक एकीकृत, घरेलू रूप से आधारित कंटेनर ईकोसिस्टम का निर्माण करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। फरवरी 2026 में, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 'भारत कंटेनर शिपिंग लाइन' (BCSL) की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह भारतीय नौवहन निगम (SCI), भारतीय कंटेनर निगम (CONCOR), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी (VOCPA) और सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SFMCL) को एक साथ लाता है। इस पहल में विभिन्न आकारों के 51 कंटेनर जहाजों के बेड़े के विकास और घरेलू कंटेनर खरीद में लगभग ₹99,149 करोड़ के निवेश की परिकल्पना की गई है।

यह समन्वित दृष्टिकोण सरकार की व्यापक लॉजिस्टिक्स पहलों का पूरक है। इनमें शामिल हैं:

- पीएम गति शक्ति, बंदरगाहों, रेलवे, राजमार्गों और औद्योगिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना;
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, परिचालन दक्षता का समर्थन करना; तथा
- सागरमाला कार्यक्रम, पोर्ट-नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना।

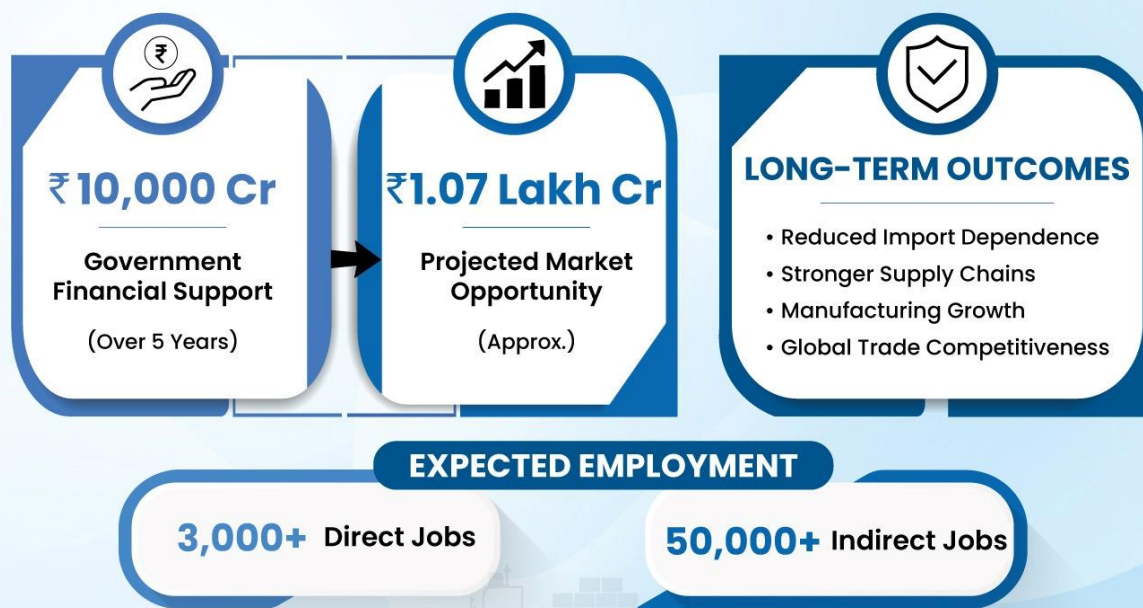
ये पहल भारत के बढ़ते व्यापार की मात्रा के लिए एक लचीले और एकीकृत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का समर्थन करती हैं।

रोज़गार और विनिर्माण अवसर

लॉजिस्टिक्स लचीलेपन में सुधार के अलावा, CMAS से पर्याप्त रोजगार उत्पन्न होने और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

इसमें कंटेनर विनिर्माण और संबद्ध उद्योगों में लगभग 3,000 प्रत्यक्ष नौकरियां और 50,000 से अधिक अप्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न करने की क्षमता है।

CMAS: INVESTMENT TO IMPACT



Source: Ministry of Ports, Shipping and Waterways

इस पहल से कई संबद्ध उद्योगों में भी वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिनमें शामिल हैं:

- कॉर्नर कास्टिंग्स (Corner castings)
- लकड़ी के फ्रेम (Wooden frames)
- कॉर्टेन स्टील (Corten steel)

हालिया प्रगति और उद्योग की प्रतिक्रिया

जुलाई 2026 में, भारत ने वैश्विक शिपिंग कंपनी ए.पी. मोलर-मैस्क (A.P. Moller-Maersk) के लिए अपने पहले भारत-निर्मित आयात-निर्यात (EXIM) शिपिंग कंटेनर के रोलआउट के साथ समुद्री निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस कंटेनर का अनावरण दादरी, उत्तर प्रदेश स्थित मैस्क-कॉनकोर (Maersk-CONCOR) इनलैंड कंटेनर डिपो में किया गया।

इस कंटेनर का निर्माण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ISO मानकों और सुरक्षित कंटेनरों के लिए अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन (CSC) के अनुसार किया गया है। यह इसे वैश्विक शिपिंग नेटवर्क में तैनात करने के अनुकूल बनाता है। यह रोलआउट वैश्विक मानकों के अनुरूप शिपिंग कंटेनरों के निर्माण में भारत की क्षमता को दर्शाता है।

एक अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि मैस्क द्वारा डीसीएम श्रीराम ग्रुप (DCM Shriram Group) को दिए गए 1,000 अतिरिक्त 'मेड-इन-इंडिया' शिपिंग कंटेनरों का ऑर्डर था। यह ऑर्डर भारत की उभरती विनिर्माण क्षमता का एक शुरुआती वाणिज्यिक समर्थन प्रस्तुत करता है। यह उच्च गुणवत्ता वाले शिपिंग कंटेनर बनाने की भारत की क्षमता में वैश्विक शिपिंग कंपनियों के बढ़ते विश्वास का भी संकेत देता है।

ये घटनाक्रम दर्शाते हैं कि सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप वाणिज्यिक परिणामों में बदलने लगे हैं। वे वैश्विक समुद्री मूल्य श्रृंखला के भीतर एक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने की भारत की महत्वाकांक्षा को भी सुदृढ़ करते हैं।

व्यापक समुद्री बदलाव का हिस्सा

CMAS भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने वाले सुधारों के एक व्यापक समूह का हिस्सा है। घरेलू कंटेनर उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ, सरकार ने विधायी, संस्थागत और ढांचागत पहलों की एक श्रृंखला शुरू की है। साथ मिलकर, इन उपायों का उद्देश्य व्यापार करने में सुगमता (ease of doing business) में सुधार करते हुए भारत के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का आधुनिकीकरण करना है।

इनमें मर्चेट शिपिंग अधिनियम, 2025, तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 और भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025 का अधिनियमन शामिल है। ये विधान नौवहन, तटीय व्यापार और बंदरगाह शासन के लिए एक अद्यतन कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। इन सुधारों के पूरक के रूप में 'वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस' (ONOP), 'मेरीटाइम सिंगल विंडो' और 'ई-समुद्र' जैसी डिजिटल पहल शामिल हैं। ये पहल नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाती हैं, दस्तावेजीकरण को कम करती हैं और बंदरगाहों तथा शिपिंग सेवाओं में परिचालन दक्षता में सुधार करती हैं।

सरकार ने 70,000 करोड़ रुपये के जहाजरानी वित्तीय सहायता पैकेज की भी घोषणा की है। इस पैकेज का उद्देश्य घरेलू जहाजरानी क्षमताओं को बढ़ावा देना और समुद्री विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करना है। प्रस्तावित भारत कंटेनर शिपिंग लाइन (BCSL) के साथ, इन उपायों का उद्देश्य एक एकीकृत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो जहाजरानी, कंटेनर निर्माण, शिपिंग सेवाओं, बंदरगाहों और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स तक फैला हुआ है।

वाधावन बंदरगाह (Vadhavan Port), गलथिया खाड़ी (Galathea Bay) में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, टुना टेकरा कंटेनर टर्मिनल (Tuna Tekra Container Terminal) और वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं तेजी से प्रगति कर रही हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे का विस्तार करना और कार्गो-हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना है।

कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (CPPI) 2025 में तीन भारतीय बंदरगाह अब दुनिया के शीर्ष 30 में शामिल हैं, जो बंदरगाह दक्षता में निरंतर सुधार को दर्शाते हैं और वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करते हैं।

आगे का रास्ता

CMAS विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री विनिर्माण इकोसिस्टम के निर्माण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। कंटेनर उत्पादन को बढ़ावा देकर और आयात पर निर्भरता को कम करके, इस योजना से आपूर्ति-श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत करने, रोजगार पैदा करने और वैश्विक व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की उम्मीद है। व्यापक

समुद्री सुधारों से, CMAS में भारत को एक अग्रणी समुद्री विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने की क्षमता है।

संदर्भ

पोत, पत्तन और जलमार्ग मंत्रालय

https://sansad.in/getFile/annex/270/AU2875_nAmH3t.pdf?source=pqars&utm

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221817®=48&lang=2>

https://dgma.gov.in/download/1775649151_69d6417f46b3f_dgs-nmdc-address-01042026.pdf?utm

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2222805&lang=1®=3&utm>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2280831&lang=1®=3&utm>

यूएनसीटीएडी

<https://unctad.org/topic/transport-and-trade-logistics/review-of-maritime-transport?utm>

<https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2025?utm>

पीआईबी रिसर्च

पीके/केसी/जेएस